

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2015

विषय: पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/11, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक-27.04.12 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी0 सी0-1-का-2/2015, दिनांक-21.08.2015 का का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/11, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक-27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक-28.04.12 के पूर्व एवं 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कार्मिकों के पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में समेकित सूचना प्रारूप-1 पर तथा दिनांक-08.05.2012 के बाद पदोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या की समेकित सूचना प्रारूप-2 पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक-21.08.2015 के अनुक्रम में पदावनत कर्मियों को पदावनत पद पर कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में प्रारूप 1 व 2 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक-21.08.2015 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रारूप-1 व 2 पर कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक-30.08.15 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2123(1)/नौ-4-15-20ज/2015 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. नगर विकास अनुभाग-1, 3, 6, व 7

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2015

विषय: पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/11, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक-27.04.12 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी0 सी0-1-का-2/2015, दिनांक-21.08.2015 का का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/11, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक-27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक-28.04.12 के पूर्व एवं 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कार्मिकों के पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में समेकित सूचना प्रारूप-1 पर तथा दिनांक-08.05.2012 के बाद पदोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या की समेकित सूचना प्रारूप-2 पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक-21.08.2015 के अनुक्रम में पदावनत कर्मियों को पदावनत पद पर कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में प्रारूप 1 व 2 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक-21.08.2015 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रारूप-1 व 2 पर कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक-30.08.15 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2123(1)/नौ-4-15-20ज/2015 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. नगर विकास अनुभाग-1, 3, 6, व 7

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/2011 यू.पी. पावर कारपोरेशन लि. बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन हेतु निर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21.08.2015 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	पद/समूह	दिनांक 15.11.1997 से 28.04.2012 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत ऐसे कार्मिक जिन्हें कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21.08.2015 के अनुसार पदावनत हेतु चिन्हित किया गया है, की संख्या	कालम संख्या-3 में वर्णित कर्मियों में से दिनांक 08.05.2012 से दिनांक 09.09.2015 तक पदावनत किये गये कार्मिकों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	क		
2.	ख		
3.	ग		

प्रमुख सचिव/सचिव

विभाग का नाम.....

दिनांक 08 मई, 2012 के पश्चात् अब तक पदोन्नत किये गये कार्मिकों की संख्या
विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के अर्द्ध शा0 पत्र सं0-457/का-1/2015-13(1)/2015,
दिनांक 24 जुलाई, 2015 का संलग्नक ।

प्रारूप - II

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	पद समूह	दिनांक 08 मई, 2012 के पश्चात् अब तक पदोन्नत किये गये कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति (यदि कोई हो)
1	2	3	4
1.	क		
2.	ख		
3	ग		

हस्ताक्षर/मुहर

विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव